(94)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 10(1)नविवि/3/02 जयपुर, दिनांक:- 25.08.2006

परिपत्र

नगरीय विकास विभाग के स्तर पर अधिसूचना क्रमांक प.10(1)नविवि/3/02 दिनांक 01.01.02 (फोटो प्रति संलग्न है) द्वारा राजस्थान में आवासीय परियोजनाओं/टाउनशिप विकसित करने में निजी निवेश को बढावा देने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इसके उपरान्त इस विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक प.10(1) नविवि/3/02 दिनांक 27.12.04 (फोटो प्रति संलग्न) एवं क्रमांक-भूमि/प-7 (ड) (7)सामान्य/स्थानि/05/1355-1544 दिनांक 28.01.2005 (फोटो प्रति संलग्न) द्वारा निजी विकासकर्ताओं/खातेदारों की योजनाओं के क्रियान्वयन करने में आ रही कठिनाई एवं परियोजना के बिन्दुओं को तर्कसंगत बनाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

उक्त दिशा निर्देश के परिपेक्ष्य में वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण में निजी खातेदार के पक्ष में 90-बी की कार्यवाही कर ले-आउट प्लान जारी करने के संबंध में जो प्रक्रिया प्रचलित है उससे जयपुर शहर में अनियोजित रूप से आवासीय योजनाओं के विकसित होने से रोकने तथा ऐसी योजनाओं में आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने में प्राधिकरण को समस्या होती है, साथ ही ऐसी योजनाओं के संदर्भ में विकास शुल्क, रूपान्तरण शुल्क इत्यादि वसूल करने की प्रभावी व्यवस्थाओं का अभाव भी पाया गया है। अतः पूर्व में निजी खातेदार की योजनाओं हेतु 90-बी तथा ले-आउट प्लान अनुमोदन की कार्यवाही के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावें :-

1. निजी खातेदार द्वारा जिस भूमि के लिये अनापत्ति तथा 90-बी के अन्तर्गत कार्यवाही चाही गई है, उस भूमि का सर्वप्रथम भू-उपान्तरण आवश्यक किया जावे। जिस प्रकरण में मास्टर प्लान में पूर्व से ही वांछित भू-उपयोग दर्शाया हुआ है ऐसे प्रकरणों पर यह शर्त लागू नहीं होगी।

2. निजी खातेदार को ले-आउट प्लान अनुमोदन कर जारी करने से पूर्व भू-रूपान्तरण शुल्क, परिधीय व विकास शुल्क की राशि जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

उपरोक्त उपरोक्तानुसार

भवदीय

(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

(210)

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. रक्षित पत्रावली।

उप विधि परामर्शी